रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240169 CG-DL-E-10112022-240169

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5010] No. 5010] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

सं. 42 /2015-2020

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 5229(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 08 सितंबर, 2022 अधिसूचना सं. 31/2015—2020 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015—2020 के पैरा 2 की शर्त (iii) में निम्नानुसार संशोधन करती है;

- 2. दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015-2020 के पैरा-2 की मूल शर्त (iii) निम्नानुसार है:
 - iii. जहां दूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है।

दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015-2020 के पैरा-2 की संशोधित शर्त (iii) निम्नानुसार है:-

iii. जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है/जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात हेतु सोमाशुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और 8 सितंबर 2022 से पहले इन वस्तुओं की सीमाशुल्क स्टेशन में प्रवेश

7457 GI/2022 (1)

करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ **सीमाशुल्क स्टेशन के संबंधित निगरानी** की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 30 नवंबर, 2022 तक होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

इस अधिसूचना 31/2015—2020 दिनांक 8 सितंबर, 2022 के पैरा—2 की शर्त (III) को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है ताकि सीएफएस में रोकी गई ऐसी चावल की खेपों को मंजूरी प्रदान की जा सके जिन्हें इस अधिसूचना से पहले कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) को सौंप दिया गया था।

[फा. सं. 01 / 91 / 171 / 010 / एएम 23 / ईसी / ई-33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

No. 42/2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of broken rice under HS Code 1006 40 00.

S.O. 5229(E).—In partial modification of the Notification No. 31 /2015-2020 dt. 8th September, 2022, the Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby amends Condition (iii) of Para-2 of Notification No. 31/2015-2020 dt. 08.09.2022.

- 2. Original condition (iii) of Para -2 of Notification No. 31/2015-20250 dt. 08.09.2022 is as under:
 - iii. where broken rice consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system.

Amended condition (iii) of Para-2 of Notification No. 31//2015-20250 dt. 08.09.2022 is as under:-

where broken rice consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system/where broken rice consignment has entered the Customs Station for exportation before this Notification and is registered in the electronic systems of the concerned Custodian of the Customs Station with verifiable evidence of date and time stamping of these commodities having entered the Customs Station prior to 8.9.2022. The period of export shall be upto 30th November, 2022.

3. Effect of this Notification:

Condition (iii) of Para-2 of Notification No. 31/2015-2020 dt. 08.09.2022 has been amended with immediate effect so as to provide clearance to such rice consignments held up in CFS which had been handed over to the Container Freight Station (CFS) before this Notification.

[F. No. 01/91/171/010/AM23/EC/E-33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.